राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 19(4)राज–6/06/3 जयपुर, दिनांक 1.2.2007

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि निवेशकों को राज्य में आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराया जावे। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जून 2006 में नई होटल नीति घोषित की गई है। इस नीति में वर्णित विभिन्न छूटों एवं सुविधाओं का लाभ केवल नई होटल/इकाई को ही प्राप्त होगा।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होटल प्रोजेक्ट्स के आवंटन एवं भू–संपरिवर्तन की स्वीकृति की प्रगति हेतु दिनांक 11.1.2007 को सचिवालय में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित नई होटल नीति की सफल कियान्विति हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही प्राथमिकता से किये जाने के निर्देश दिये गये है:–

1. समस्त जिला कलेक्टर जिला स्तर पर होटल प्रोजेक्ट के लिये क्षेत्र (ZONE) एवं लैण्ड बैंक की स्थापना (राजकीय भूमि एवं निजी भूमि) सुनिश्चित करें।
2. पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि रूपान्तरण एवं संपरिवर्तन के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(के.जी. अग्रवाल) 1.2.07
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निदेशक, पर्यटन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
6. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

उप शासन सचिव 1.2.07